Order Sheet [Contd]

| | Case No 88/ | ′ १२ विद्युत |
|---|--|--|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| STILL | पुनश्चयः—24.05.17 परिवादी सहित श्री ए०के०श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। आरोपी द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता। परिवादी की ओर से एन.सी.गुप्ता किनष्ठयंत्री गोहद ग्रामीण एवं परिवादी के अधिवक्ता श्री ए०के० श्रीवास्तव द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 257 सी.आर.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के ऊपर अब किसी प्रकार की कोई विद्युत विल की राशि शेष नहीं है और वह प्रकरण को बापस लेना चाहते है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। जभय पक्ष के तर्क सुने गए। परिवादी के अधिवक्ता ने इन तर्कों पर भी बल दिया है कि परिवादी की ओर से आरोपी पर परिवाद में जो दर्शित राशि दर्शाई गई है वह अब बसूल हो गई, इसी कारण परिवाद में जो दर्शित राशि वश्य पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। प्रस्तुत परिवाद में आरोपी पर 102627 /— रूपए की राशि बिल के रूप में बकाया होना दर्शाया है। साथ है। सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने का भी आधार लिया गया। प्रस्तुत परिवाद में आरोपी पर 102627 /— रूपए की राशि बिल के रूप में बकाया होना दर्शाया है। साथ है। सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने का भी आधार लिया है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी को दंड प्रिकृया संहिता की धारा 257 के अंतर्गत परिवाद को बापस लेने की अनुज्ञा देने के पर्याप्त आधार दर्शित होते है। अतः परिवादी को परिवाद बापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। आरोपी रामदास को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकाई अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 | |